छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर—2022 से जनवरी, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी, 2023 (पौष 13,1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2021—22 के वित्त लेखे खण्ड—1 एवं खण्ड—2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखेंगे।

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021—22 (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020—21 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) पटल पर रखेंगे।

3. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज, जल संसाधन विभाग के संभाग क्रमांक—2 में मुआवजा वितरण राशि में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, रायपुर के तेलीबांधा एक्सप्रेस—वे का निर्माण गाईडलाईन के अनुरूप नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 05, भटगांव के सदस्य, श्री पारसनाथ राजवाड़े को वर्तमान सत्र में दिनांक 02 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 जनवरी, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल, सदस्य, डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मारूटोलाकला में पीपरिया नदी पर रपटा कम सड़क निर्माण करने,

(2) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, रायपुर उत्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गुरू गोविंद सिंह वार्ड स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला भवन का पुनर्निर्माण करने,

(3) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, जिला धमतरी अंतर्गत –

(i) ग्राम मरौद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण करने,

(ii) ग्राम बगदेही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण करने,

(iii) ग्राम भेण्ड्रा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण करने,

(iv) ग्राम करेलीबड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण करने तथा

(v) ग्राम कोपेडीह से टिपानी मार्ग का पुनर्निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

7. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2022–2023 की शेष अवधि हेतु एक सदस्य का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2022–2023 की शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक,2022 (क्रमांक 21 सन् 2022)के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 2 जनवरी, 2023